

**इटावा पुलिस द्वारा निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से पाईप, सरिया चुराने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।**

जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से पाईप, सरिया चुराने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आगामी त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था जिसमें की समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में 10/11.09.2021 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रन्तर्गत छोला मंदिर पर चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि 02 व्यक्ति बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगे सटरिंग पाइप व सटरिंग प्लेटे चोरी कर टिरी में लादकर पडियापुर गांव की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना पुलिस द्वारा पडियापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंच कर सघनता से चैकिंग करने लगे तभी कुछ देर एक टिरी पर 02 व्यक्ति आते हुए दिखायी दिए। जिन्हें संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो वह दोनों लोग टिरी को वही छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबन्दी करते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया तथा टिरी में लदे पाइप एवं सरिया के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से सटरिंग के पाइप व सरिया चुराते हैं एवं भूरे पुत्र मो0 सलीम निवासी सराय को छोला मंदिर के पास बने गोदाम पर बेच देते हैं। पुलिस टीम दोनों अभियुक्तों को लेकर कबाडी भूरे के गोदाम पर आये तो वहाँ दो सटरिंग पाइप मिले जो हुबहू अभियुक्तों द्वारा चुराये गये पाइपों से मिलते थे। कबाडी भूरे सिंह को पुलिस टीम द्वारा गोदाम से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. भोला पुत्र रवि कुमार निवासी आजाद नगर रोड सिन्धी कालोनी थाना भरथना, इटावा
2. सोनू पुत्र परशुराम निवासी टडैया इटौला थाना अछल्दा औरैया
3. भूरे पुत्र मो0 सलीम निवासी मोहल्ला सराय थाना भरथना इटावा

**बरामदगी-**

1. 24 सटरिंग पाइप (चोरी किए हुए)
2. 03 सटरिंग प्लेट लोहा (चोरी किए हुए)
3. 01 अवैध चाकू

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 313/21 धारा 379/411 भादवि थाना भरथना इटावा
2. मु0अ0स0 314/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोनू थाना भरथना इटावा

**पुलिस टीम-** श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना, उ0नि0 श्री दीपक कुमार, उ0नि0 श्री रामबली सिंह, का0 धर्मन्द्र, का0 राघवेन्द्र, का0 अजय कुमार